

बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-19/2013-119 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 20-08-2013
प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

विषय :

कृषि रोड़ मैप के अधीन फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान कार्यक्रम का वर्ष 2013-14 में 4508.25 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार रुपये) की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुको के लिए तत्काल 25.00 लाख रुपये (पच्चीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष व्यय हेतु तत्काल ₹ 8,75,000 (आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3509 दिनांक-11.07.2013 द्वारा कृषि रोड़ मैप के अधीन फसलों के प्रमाणित बीज पर अनुदान कार्यक्रम का वर्ष 2013-14 में 4508.25 लाख रुपये (पैंतालीस करोड़ आठ लाख पच्चीस हजार रुपये) की लागत पर योजना का कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभुको के लिए तत्काल 25.00 लाख रुपये (पच्चीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक-66 (आवंटन) दिनांक-18.07.2013 द्वारा ₹7,97,000 एवं पत्रांक-96 (आवंटन) दिनांक-06.08.2013 द्वारा ₹ 8,28,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है। शेष व्यय हेतु ₹ 8,75,000 (आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹ 8,75,000 (आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0140-बीज उत्पादन कार्यक्रम, विपत्र कोड-P2401007960140, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-50 15, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी मद में वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित ₹40.00 लाख रु० से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक

119 (आवंटन)

/कृ0, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामजी

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापानक

119 (भारत)

/कृ०, पटना, दिनांक 20-08-2013

प्रतिलिपि : निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम कृषि विभाग, विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), कृषि विभाग/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकारी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/वित्त विभाग, (बजट-शाखा) बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा-04, समन्वय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई०-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

15/20/8/13

सरकार के संयुक्त सचिव।